प्रेस नोट **दिनांक 03.08.2026**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण, 1. राजू चौहान पुत्र रवीन्द्र चौहान निवासी महराबन्धा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ, 2. राजकुमार चौहान पुत्र पतिराम निवासी बडीरहजनियां थाना कोतवालीनगर जनपद मऊ।

2. थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र रामबली निवास भुसुवां थाना रानीपुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 03.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 33 टीम गठित कर जनपद के 38 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1200 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 394 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 01 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग करने वाला अभियुक्त हुआ गिरफ्तार, पिस्तल व कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर जी के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस टीम द्वारा रामघाट बन्धा के पास से मु0अ0सं0- 261/2026 धारा- 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) व धारा 7/9/25 आयुध अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्त रवि चौहान पुत्र बलवन्त चौहान, निवासी ग्राम कटिहारी बुजुर्ग, थाना घोसी, जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से अवैध पिस्टल एवं कारतूस बरामद किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. रवि चौहान पुत्र बलवन्त चौहान, निवासी ग्राम कटिहारी बुजुर्ग, थाना घोसी, जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0- 261/2026 धारा 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) व धारा 7/9/25 आयुध अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण

1. 01 अदद पिस्टल .32 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस 9 एमएम बोर
4. ₹120/- नकद

गिरफ्तारी का दिनांक व समय

1. दिनांक- 03.08.2026

2. समय – 01.10 बजे

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर जी के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.08.2026 को नदवासराय अंडरपास के पास से मु0अ0सं0- 258/2026 धारा- 105 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुहम्मद शाहिद पुत्र मुहम्मद इदरीस उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम भिखारीपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम –

मुहम्मद शाहिद पुत्र मुहम्मद इदरीस उम्र करीब 38 वर्ष निवासी- भिखारीपुर थाना घोसी जनपद मऊ।

आपराधिक इधिहास—

मु0अ0सं0 258/2026 धारा 105 बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ।